न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : स्पेशल अपील/एल.आर./2748/2004/जालौर

विष्णु कॉ–आपरेटिव फामिंग सहकारी समिति लिमिटेड सेलडी तहसील आहोर जिला जालौर जरिये सदस्यगणः–

1. चमना पुत्र पुक्या मीना
2. हलीया पुत्र सुजाता रेबारी
3. टापियां पुत्र पुरमा मीना
4. भाखरा पुत्र राणा रेबारी
5. प्रहलादसिंह पुत्र मंगलसिंह
6. हनुवन्तसिंह पुत्र खींवसिंह
7. ऊंकाराम पुत्र मोडा मीना
8. भूराराम पुत्र हिम्मता
9. रमेश पुत्र गीगा हरिजन
10. शिवराजकंवर पुत्री हरेकंवर
11. देवा पुत्र भोमा रेबारी

–समस्त निवासीगण ग्राम सेलडी तहसील आहौर जिला जालौर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार ।

.....प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर अति.राजकीय अभिभाषक सरकार

निर्णय

दिनांकः– 24–06–2019

यह स्पेशल अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10 के अन्तर्गत मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तत्कालीन तहसीलदार आहोर ने राजस्थान भू राजस्व (सहकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन) नियम 1959 के तहत आदेश दिनांक 23–08–1961 के द्वारा ग्राम सेलडी स्थित विवादित आराजियात कुल किता 6 कुल रकबा 359 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन अपीलार्थी विष्णु कॉआपरेटिव फामिंग सहकारी समिति लिमिटेड सेलडी के पक्ष में गैरखातेदारी के तौर पर किया। उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2031–2034 तक राजकीय खाते में बिला कब्जा दर्ज है। नवीन बंदोबस्त में उपरोक्त आराजी के खसरा नम्बरान खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2040–2059 में विष्णु कॉ–आरपेटिव फामिंग सहकारी समिति सेलडी के नाम पर खातेदारी दर्ज कर दी। बंदोबस्त विभाग ने राज्य का पक्ष सुने बिना आराजी को सहकारी समिति के नाम खातेदारी में अंकित कर दी, जिससे राजकीय अहित हुआ। अतः सहकारी समिति के नाम उक्त आराजी के इन्द्राज हटाये जाने व पुनः राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु तहसीलदार आहोर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व जिला कलक्टर जालौर के समक्ष पेश किया। जिला कलक्टर जालौर ने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में आदेश दिनांक 11–03–1991 द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार आहोर के निर्णय दिनांक 23–08–1961 से गैरखातेदारी के तौर पर आवंटन के आधार पर पैरा संख्या 2 में वर्णित नवीन बंदोबस्त के इन्द्राजात को निरस्त करने बाबत मण्डल के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत करने की आज्ञा पारित की। उक्त आदेश के द्वारा मण्डल के समक्ष रेफरेंस प्रकरण संख्या 201/1991 संस्थित किया गया। उक्त रेफरेंस को राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने आदेश 28–08–1991 द्वारा अस्वीकार कर प्रकरण को जिला कलक्टर जालौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वर्णित सम्प्रेषण को ध्यान में रखकर आवंटन नियम

1959 के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर जांच कार्यवाही करें व तत्पश्चात यदि वह आवश्यक समझे तो विधि अनुसार मण्डल के समक्ष रेफरेंस प्रेषित करें। मण्डल के उक्त प्रतिप्रेषण आदेश में दिए गए सम्प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर जालौर ने आदेश दिनांक 27-02-1999 पारित किया। उक्त आदेश में विवेचित किया कि खसरा संख्या 61, 124, 252, 75, 77, 162 कुल रकबा 359 बीघा 15 बिस्वा के नवीन बंदोबस्त के दौरान सम्वत 2040-2059 के खतौनी बंदोबस्त दौरान पैरा संख्या 6 में वर्णित भूमि नवीन बंदोबस्त के इन्द्राज किए है, उसे निरस्त करने हेतु प्रकरण को मण्डल को प्रस्तुत करने की आज्ञा पारित की गई। उक्त आदेश से रेफरेंस प्रकरण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने पर रेफरेंस संख्या 184/1999 बउनवान सरकार बनाम विष्णु संस्थित करते हुए मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने प्रकरण में विचारण कर आदेश दिनांक 25-05-2000 पारित किया। उक्त आदेश में विवेचित किया कि सहकारी समिति को भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटित हुई थी, अब कुछ व्यक्तियों का इस पर कब्जा है, सहकारी समिति का वर्तमान में अस्तित्व भी नहीं रहा है। तहसीलदार को आवंटन करने का अधिकार था या नहीं, इस मामले में जांच गम्भीरता से नहीं की गयी है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा ठोस आधार पर ही भूमि सहकारी समिति के नाम की गई थी। अब सहकारी समिति का अस्तित्व नहीं रहा तो भूमि का क्या होगा? क्या आवंटन निरस्त करना होगा। इन सभी पहलुओं पर जांच की जाकर यदि रेफरेंस फिर से उचित समझा जावे तो मण्डल को प्रेषित किया जावे। मण्डल के उक्त आदेश की पालना में अतिरिक्त जिला कलक्टर जालौर ने प्रकरण में पुनः विचारण कर आदेश दिनांक 27-01-2001 पारित किया। उक्त आदेश के अनुसार रेफरेंस प्रकरण पुनः मण्डल के समक्ष पेश होने पर रेफरेंस संख्या 221/2001 बउनवान सरकार बनाम विष्णु कॉ-आपरेटिव सहकारी समिति संस्थित किया गया। जिसमें मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने आदेश दिनांक 26-05-2004 पारित किया। उक्त आदेश के अनुसार पूर्व माननीय एकल पीठ ने रेफरेंस प्रकरण को स्वीकार विवाग्रस्त आराजी को विष्णु कॉ-आपरेटिव सहकारी समिति सेलडी के नाम से हटाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः सरकारी सिवायचक दर्ज करने की आज्ञा पारित की। राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ

के उक्त निर्णय दिनांक 26–05–2004 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह स्पेशल अपील मण्डल की इस खण्ड पीठ के समक्ष पेश की है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि मण्डल की पूर्व एकल पीठ ने आक्षेपित निर्णय में रेफरेंस में लिप्त कानूनी बिन्दुओं से परे जाकर रेफरेंस को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। जबकि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 27–01–2001 द्वारा बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा रेफरेंस में लिप्त आराजी का इन्द्राज सहकारी समिति के नाम किया जाना माना है, जबकि अतिरिक्त जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 27–07–1991 में मण्डल द्वारा दिये गये सम्प्रेक्षण का विचारण नहीं किया गया है। मण्डल की पूर्व एकल पीठ ने राजस्व रेकार्ड से परे जाकर विवादग्रस्त आराजी को अपीलार्थीगण से हटाई जाकर सिवायचक दर्ज करने का जो आदेश दिया है, वह भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के विपरीत है। उनका आगे कहना है कि यदि बंदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे इन्द्राजातों को निरस्त करने की अधिकारिता जिला कलक्टर या अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्राप्त नहीं होकर केवल मात्र निदेशक लैण्ड रेकार्ड ही सक्षम प्राधिकारी है। उनका यह भी कहना है कि विवादित आराजी वर्ष 1961 में आवंटन नियम 1959 के तहत अपीलार्थीगण को नियमानुसार आवंटित की गई थी तथा आवंटन आदेश में उल्लेखित शर्तो की अक्षरक्ष पालना सहकारी समिति द्वारा की गई है। उनका तर्क है कि यदि बंदोबस्त विभाग द्वारा आराजी की खातेदारी सहकारी समिति को प्रदान कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में उनके खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते है तथा केवल सहकारी संस्था अपीलान्ट के इन्द्राज के बारे में खातेदारी या गैरखातेदारी के स्थान पर सिवायचक दर्ज नहीं की जा सकती। उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्ट सहकारी समिति एवं उसके प्रत्येक सदस्य को कलक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा साथ ही माननीय न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 28–08–1991 एवं दिनांक 25–05–2000 में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर जालौर ने मण्डल के समक्ष रेफरेंस पेश कर दिया। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह स्पेशल

अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने स्पेशल अपील स्वीकार कर मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–05–2004 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अति0राजकीय अभिभाषक ने बहस में कहा कि बिना किसी ठोस आधार के विवादित आराजी सहकारी समिति के नाम दर्ज हो गई है। उनका कहना है कि बंदोबस्त विभाग को विवादित आराजी के इन्द्राजात को सहकारी समिति के नाम करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उनका आगे कहना है कि बंदोबस्त के दौरान भू प्रबन्ध विभाग ने राज्य पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रश्नगत भूमि को सहकारी समिति के नाम गलत ढंग से खातेदारी में दर्ज कर दी गयी, जिसका बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि प्रश्नगत आराजी राजस्व रेकार्ड में राजकीय पडत भूमि थी तथा उक्त भूमि का इन्द्राज बंदोबस्त के दौरान सहकारी समिति के नाम कर दिए जाने से राजकीय अहित हुआ है। उनका तर्क है कि सहकारी समिति पंजीकृत संस्था नहीं है तथा न ही सहकारी समिति का वर्तमान में कोई अस्तित्व है। उनका आगे तर्क है कि सहकारी समिति के समस्त सदस्यों को रेफरेंस प्रकरण के नियमानुसार नोटिस जारी किए गए है तथा विवादित आराजी का वर्ष 1961 में आवंटन भी नहीं हुआ है। इस बाबत पटवारी की आदेश पुस्तिका 1961 में उल्लेखित है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–05–2004 विधि सम्मत होने के कारण उसमें स्पेशल अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने स्पेशल अपील को निरस्त कर मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. इस स्पेशल अपील में अपीलार्थीगण द्वारा निम्न विधिक बिन्दु यह उठाये गये है कि –

1– प्रकरण में धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पत्रावली का परीक्षण किए बिना ही राजस्व अभिलेखों

के आधार पर मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया है।

2– माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश दिनांक 28–8–1991 एवं दिनांक 25–5–2000 में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर जालौर ने मण्डल के समक्ष रेफरेंस पेश कर दिया।

3–यदि बंदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया जाता है तो सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश को निरस्त करने हेतु जिला कलक्टर या अतिरिक्त जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी नहीं है तथा ऐसे आदेशो को निरस्त करने की अधिकारिता केवल मात्र निदेशक लैण्ड रेकार्ड को प्राप्त है।

उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने सह निम्न बिन्दु दृष्टिगोचर होते हैः–

1– तहसीलदार आहोर ने विवादित आराजियात के क्रम में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व जिला कलक्टर जालौर के समक्ष पेश किया। जिला कलक्टर जालौर ने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में आदेश दिनांक 11–03–1991 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–8–1961 द्वारा गैरखातेदारी के तौर पर आवंटन के आधार पर पैरा संख्या 2 में वर्णित नवीन बंदोबस्त के इन्द्राजात को निरस्त करने बाबत मण्डल के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत करने की आज्ञा पारित की।

2– उक्त आदेश के अनुसार मण्डल के समक्ष रेफरेंस प्रकरण संख्या 201/1991 संस्थित किया गया। उक्त रेफरेंस को राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने आदेश 28–08–1991 द्वारा अस्वीकार कर प्रकरण को जिला कलक्टर जालौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वर्णित सम्प्रेषण को ध्यान में रख आवंटन नियम 1959 के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर जांच कार्यवाही करें व तत्पश्चात यदि वह आवश्यक समझे तो विधि अनुसार मण्डल के समक्ष रेफरेंस प्रेषित करें।

3– मण्डल के उक्त प्रतिप्रेषण आदेश में दिए गए सम्प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर जालौर ने आदेश दिनांक 27–02–1999 पारित किया। उक्त आदेश में विवेचित किया कि खसरा संख्या 61, 124, 252, 75, 77, 162 कुल रकबा 359 बीघा 15 बिस्वा के नवीन बंदोबस्त के दौरान सम्वत 2040–2059 के खतौनी बंदोबस्त दौरान पैरा संख्या 6 में वर्णित भूमि नवीन बंदोबस्त के इन्द्राज किए है, उसे निरस्त करने हेतु प्रकरण को मण्डल को प्रस्तुत करने की अनुशंषा की गई।

4– उक्त आदेश से रेफरेंस प्रकरण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने पर रेफरेंस संख्या 184/1999 बउनवान सरकार बनाम विष्णु संस्थित करते हुए मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने प्रकरण में विचारण कर आदेश दिनांक 25–05–2000 पारित किया। उक्त आदेश में विवेचित किया कि सहकारी समिति को भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटित हुई थी, अब कुछ व्यक्तियों का इस पर कब्जा है। सहकारी समिति का वर्तमान में अस्तित्व में भी नहीं रहा है। तहसीलदार को आवंटन करने का अधिकार था या नहीं, इस मामले में जांच गम्भीरता से नहीं की गयी है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा ठोस आधार पर ही भूमि सहकारी समिति के नाम की गई थी। अब सहकारी समिति का अस्तित्व नहीं रहा तो भूमि का क्या होगा? क्या आवंटन निरस्त करना होगा। इन सभी पहलुओं पर जांच की जाकर यदि रेफरेंस फिर से उचित समझा जावे तो मण्डल को प्रेषित किया जावे।

5– मण्डल के उक्त आदेश की पालना में अतिरिक्त जिला कलक्टर जालौर ने प्रकरण में पुनः विचारण कर आदेश दिनांक 27–01–2001 पारित किया। उक्त आदेश के अनुसार रेफरेंस प्रकरण पुनः मण्डल के समक्ष पेश होने पर रेफरेंस संख्या 221/2001 बउनवान सरकार बनाम विष्णु कॉ–आपरेटिव सहकारी समिति संस्थित किया गया। जिसमें मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 26–05–2004 पारित किया।

8. पत्रावली व रेकार्ड से विदित होता है कि राजस्थान भू राजस्व (सहकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन) नियम 1959 के तहत तहसीलदार ने दिनांक 23–8–1961 को 25 वर्ष की अवधि के लिए विवादित आराजियात का गैरखातेदारी के तौर पर अपीलार्थीगण के पक्ष में आवंटन किया। उक्त आवंटन के पश्चात 25 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त सहकारी समिति के नवीनीकरण के संबंध में कोई भी रेकार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा वर्तमान में सहकारी समिति अस्तित्व में है, इस बाबत भी किसी प्रकार की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार यह भी पाया जाता है कि आलोच्य सहकारी समिति पंजीकृत संस्था भी नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि आवंटन नियम, 1959 के तहत अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का आवंटन 25 वर्ष की अवधि के लिए ही गैरखातेदारी के तौर पर किया गया था। सारांशतः आवंटन आदेशक की पालना सुनिश्चित नहीं करने के कारण तथा वर्तमान में सहकारी समिति का कोई अस्तित्व नहीं होने से

ऐसे आवंटन आदेश की पालना में सहकारी समिति के नाम किए गए समस्त इन्द्राजात निरस्त किए जाने योग्य है। अतः आलोच्य आवंटन आदेश की पालना में अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रश्नगत भूमि बाबत राजस्व रेकार्ड में किए गए इन्द्राजात व कालान्तर में बंदोबस्त विभाग द्वारा किए गए नवीन अंकनों का कोई विधिक आधार नहीं रह जाता। इस कारण अपीलार्थीगण द्वारा बंदोबस्त कार्यवाही को निरस्त कराने की अधिकारिता केवल मात्र निदेशक लैण्ड रेकार्ड को प्राप्त होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः इस बाबत अपीलार्थीगण का आक्षेप निराधार पाया जाता है। द्वितीय जब प्रकरण पूर्व में दो बार मण्डल द्वारा प्रतिप्रेषित कर सम्प्रेषण की पालना सुनिश्चित करने हेतु आज्ञा पारित की गई तो अतिरिक्त जिला कलक्टर ने प्रकरण में लिप्त विवादित आराजियात बाबत उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधि के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विश्लेषण कर अपने निर्णय पारित किए है। इस प्रकार धारा 82 के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने का अपीलार्थीगण का आक्षेप भी उचित नहीं है। अतः हमारी विनम्र राय में मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा रेफरेंस संख्या 221/2001 बउनवान सरकार बनाम विष्णु कॉ–आपरेटिव सहकारी समिति में पारित निर्णय दिनांक 26–05–2004 विधि सम्मत पाया जाता है। तदनुसार अपीलार्थीगण इस स्पेशल अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

9. परिणामतः यह विशेष अपील सारहीन पाई जाकर दाखिले के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य